|  |  |
| --- | --- |
| English | Hindi |
| **GUIDELINES FOR YOUR COVID SAFETY PLAN** | **आपकी COVID सुरक्षा योजना के लिए दिशा‒निर्देश** |
| Updated 9 October 2020 | 9 अक्टूबर 2020 को अद्यतित |
| **Thank you for working with us to reduce the impact of**  **COVID‒19 in the ACT.** | **ACT में COVID‒19 के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से हमारे साथ काम करने के लिए आपका धन्यवाद।** |
| This document provides guidance for the following businesses and undertakings that are required to develop a COVID Safety Plan: | यह दस्तावेज COVID सुरक्षा योजना विकसित करने की आवश्यकता वाले निम्नलिखित व्यवसायों और उपक्रमों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है: |
| * Restaurants and cafes offering dine‒in services (includes casino and hotel‒based restaurants, bars and food courts * Gyms, health clubs and fitness or wellness centres * Yoga, barre, pilates and spin facilities * Swimming pools * Boot camps and personal trainers * Personal services (e.g. hairdressers, barbers, nail salons, tattoo or body modification studios, day spas, and non‒therapeutic massage services) * Steam‒based services including saunas, steam rooms, steam cabinets and bathhouses * Organisers of weddings and funerals * Auction houses * Real estate agencies conducting open home inspections or auctions * Libraries | * बैठकर भोजन करने की (डाइन‒इन) सेवाएँ उपलब्ध कराने वाले रेस्तरां और कैफे (इनमें कैसिनों और होटलों के अंदर स्थित रेस्तरां, बार और फूड कोर्ट शामिल हैं) * जिम, स्वास्थ्य क्लब और फिटनेस या वेलनेस सेंटर * योग, बार, पायलेट्स और स्पिन सुविधाएँ * स्विमिंग पूल * बूट कैंप और व्यक्तिगत प्रशिक्षक * व्यक्तिगत सेवाएँ (जैसे हेयरड्रेसर, नाई, नाखूनों के सैलून, टैटू या शरीर संशोधन स्टूडियो, दिवसकालीन स्पा, और गैर‒चिकित्सीय मसाज सेवाएँ) * वाष्प–आधारित सेवाएँ, जिनमें सौना, स्टीम रूम, स्टीम कैबिनेट और बाथहाउस शामिल हैं * विवाह और अंतिम संस्कार आयोजक * नीलामी‒गृह * घर का निरीक्षण और नीलामियों का आयोजन करने वाली अचल संपत्ति एजेंसियाँ * पुस्तकालय |
| * Galleries, museums, national institutions or historic sites. * Clubs and licensed venues * Cinemas, movie theatres and open‒air or drive‒in cinemas * Choirs, bands and orchestras * Dance classes * Concert venues, theatres, arenas, auditoriums or outdoor venues * Indoor amusement centres, arcades, and outdoor or indoor play centres * Hotels * Organised sport * Betting agencies and gaming venues * Adult venues | * कलादीर्घाएँ, संग्रहालय, राष्ट्रीय संस्थान या ऐतिहासिक स्थल * क्लब और लाइसेंस‒प्राप्त स्थल * सिनेमा, मूवी थिएटर और ओपन‒एयर ड्राइव‒इन सिनेमा * संगीतदल, बैंड और ऑर्केस्ट्रा * नृत्य कक्षाएँ * आयोजन स्थल, थिएटर, एरिना, सभागार या आउटडोर स्थल * इनडोर मनोरंजन केंद्र, आर्केड, और आउटडोर या इनडोर क्रीड़ा‒केंद्र * होटल * आयोजित खेल * सट्टेबाजी एजेंसियाँ और गेमिंग स्थल * वयस्क सेवाओं के स्थल |
| For places of worship and religious ceremonies, a COVID Safety Plan is required for those who wish to increase gatherings to more than 20 people.  Refer to COVID Safety Plan Checklist for religious organisations and institutions providing religious, funeral or wedding services in the ACT. | यदि उपासना स्थलों और धार्मिक समारोहों में 20 से अधिक लोगों के जमा होने की अपेक्षा है, तो उनके पास COVID सुरक्षा योजना होना आवश्यक है।  ACT में धार्मिक, अंतिम संस्कार या विवाह‒संबंधी सेवाएँ उपलब्ध कराने वाले धार्मिक संगठनों और संस्थाओं के लिए COVID सुरक्षा योजना जाँचसूची देखें। |
| **What is a COVID Safety Plan?** | **COVID सुरक्षा योजना क्या होती है?** |
| A COVID Safety Plan is a plan that sets out how you will keep your employees and customers safe during the COVID‒19 pandemic. It will also help you ensure your business or undertaking is complying with relevant laws and regulations. | COVID सुरक्षा योजना एक योजना होती है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि COVID‒19 महामारी के दौरान आपके कर्मचारियों और सेवार्थियों को सुरक्षित कैसे रखा जाएगा। इससे आपको यह सुनिश्चित करने में भी सहायता मिलती है कि आपका व्यवसाय या उपक्रम प्रासंगिक कानूनों और विनियमों के अनुपालन में है। |
| **Templates** | **टेम्पलेट्स** |
| The ACT does not require the use of a standard template for ACT businesses when developing their COVID Safety Plan. This is to help maintain a level of flexibility for businesses. | ACT यह आवश्यकता लागू नहीं करती है कि ACT में स्थित व्यवसाय अपनी COVID सुरक्षा योजना विकसित करते समय किसी मानक टेम्पलेट का उपयोग करें। यह व्यवसायों को अनुकूलनीयता का स्तर बनाए रखने में सहायता देने के लिए है। |
| Your COVID Safety Plan should consist of a document in a written or electronic form that can be produced during a compliance check. When developing your COVID Safety Plan you should take into consideration the requirements of the Public Health Directions and any other requirements for your sector/industry specific to the ACT, along with the information and advice provided in these guidelines. | आपकी COVID सुरक्षा योजना लिखित या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में होनी चाहिए, जिसे अनुपालन जाँच के समय उपलब्ध कराया जा सके। अपनी COVID सुरक्षा योजना विकसित करते समय आपको जनस्वास्थ्य दिशा‒निर्देशों की आवश्यकताओं और इन दिशा‒निर्देशों में दी गई जानकारी व सलाह के साथ‒साथ ACT के लिए विशिष्ट अपने सेक्टर/उद्योग की अन्य सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। |
| It should include your policies in relation to matters outlined in these guidelines, including:   * Ensuring physical distancing * Cleaning, sanitising and hygiene activities * Managing staff or customers presenting with illness * Additional requirements for certain businesses and organisations, including those required to request contact information from patrons or visitors and record it if received * Compliance and enforcement | इसमें जनस्वास्थ्य दिशा‒निर्देशों में बताई गई बातों के संबंध में आपकी नीतियाँ होनी चाहिए, जिनमें शामिल हैं:   * शारीरिक दूरी सुनिश्चित करना * साफ‒सफाई, सैनिटाइज़ेशन और स्वच्छता कार्य * बीमारी के साथ उपस्थित होने वाले कर्मचारियों या सेवार्थियों का प्रबंधन * कुछ व्यवसायों और संगठनों के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएँ, जिनमें सेवार्थियों या आगंतुकों से संपर्क जानकारी का निवेदन करने तथा उपलब्ध कराए जाने पर इसे संग्रहीत करने की आवश्यकता वाले व्यवसाय और संगठन भी शामिल हैं * अनुपालन और प्रवर्तन। |
| Some jurisdictions and industry peak bodies have developed templates.  For businesses seeking a template the NSW and Commonwealth Governments websites may have some useful information. Alternatively get in touch with your industry peak body. | कुछ न्यायाधिकार‒क्षेत्रों और उद्योगों के शीर्षस्थ निकायों ने टेम्पलेटें विकसित की हैं।  टेम्प्लेट की खोज करने वाले व्यवसायों के लिए NSW और राष्ट्रमण्डल सरकार (Commonwealth Government) की वेबसाइटों पर कुछ उपयोगी जानकारी उपलब्ध हो सकती है। वैकल्पिक रूप से अपने उद्योग के शीर्षस्थ निकाय से संपर्क करें। |
| Can be found on the [NSW Government Safe Business web page](https://www.nsw.gov.au/covid-19/covid-safe) | [NSW सरकार के सुरक्षित व्यवसाय वेबपेज](https://www.nsw.gov.au/covid-19/covid-safe) पर उपलब्ध है। |
| Return to Play in a COVID Safe Environment Plan | COVID‒सुरक्षित परिवेश में खेलों के लिए वापसी योजना |
| The ACT Government has developed specific guidelines for sporting clubs and venues to follow. If your sporting organisation or club has a ‘Return to Play in a COVID Safe Environment Plan’, this will meet the requirements of the COVID Safety Plan. Therefore, there is no requirement to produce an additional COVID Safety Plan. | ACT सरकार ने खेल क्लबों और स्थलों के लिए विशिष्ट दिशा‒निर्देश विकसित किए हैं, जिनका उन्हें अनुपालन करना होगा। यदि आपके खेल संगठन या क्लब के पास एक ‘COVID‒सुरक्षित परिवेश में खेलों के लिए वापसी योजना’ है, तो यह COVID सुरक्षा योजना की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। इसलिए आपको अतिरिक्त COVID सुरक्षा योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है। |
| Visit the [Sports ACT website](https://www.sport.act.gov.au/about-us/covid19-news) to download the guidelines for developing a Return to Play in a COVID Safe Environment plan. | COVID‒सुरक्षित परिवेश में खेलों के लिए वापसी योजना विकसित करने के उद्देश्य से दिशा‒निर्दशों को डाउनलोड करने के लिए [खेल ACT (Sports ACT) की वेबसाइट](https://www.sport.act.gov.au/about-us/covid19-news) पर जाएँ। |
| AIS Return to Sport Toolkit | एआईएस खेलों के लिए वापसी टूलकिट |
| Can be found on the [Sports Australia website.](https://www.sportaus.gov.au/return-to-sport) | [खेल ऑस्ट्रेलिया (Sports Australia) की वेबसाइट](https://www.sportaus.gov.au/return-to-sport) पर उपलब्ध है। |
| **COVID Safety Plan for Adult Venues** | **वयस्क सेवाओं के स्थलों के लिए COVID सुरक्षा योजना** |
| The ACT Government has developed a specific plan for strip clubs, brothels and escort agencies to follow that offers specific advice for the industry and employees.  For more information about developing a COVID Safety Plan for an adult venue go to the [business and work section of the COVID‒19 website.](https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/strip-clubs,-brothels-and-escort-agencies#restriction) | ACT सरकार ने वयस्क सेवाएँ उद्योग और इसमें कार्यरत लोगों को विशिष्ट सलाह देने के लिए स्ट्रिप क्लबों, वैश्यालयों और एस्कॉर्ट एजेंसियों के लिए एक विशिष्ट योजना विकसित की है।  वयस्क सेवाएँ उपलब्ध कराने वाले स्थलों के लिए COVID सुरक्षा योजना विकसित करने के बारे में और अधिक जानकारी के लिए [COVID‒19 वेबसाइट के व्यवसाय और कार्य अनुभाग](https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/strip-clubs,-brothels-and-escort-agencies#restriction) पर जाएँ। |
| **Your obligations** | **आपकी जिम्मेदारियाँ** |
| The ACT Public Health Directions requires all venues, facilities and businesses that are permitted to open to develop a COVID Safety Plan. | ACT जनस्वास्थ्य दिशा‒निर्देशों के तहत जिन स्थलों, सुविधाओं और व्यवसायों को खोले जाने की अनुमति है, उन सभी को COVID सुरक्षा योजना विकसित करना आवश्यक है। |
| Your COVID Safety Plan does not need to be submitted for approval but must be available to be produced on request by compliance and enforcement officers. | आपको अपनी COVID सुरक्षा योजना को अनुमोदन के लिए जमा करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु अनुपालन व प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा निवेदन किए जाने पर यह प्रदर्शित करने के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। |
| The development of a COVID Safety Plan is an important step in ensuring that you keep your staff and the broader community safe. You should consult with your staff as you develop your COVID Safety Plan to ensure they are aware of their responsibilities and are able to carry them out. | COVID सुरक्षा योजना का विकास आपके द्वारा अपने कर्मचारियों और व्यापक समुदाय की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अपनी COVID सुरक्षा योजना विकसित करते समय आपको अपने कर्मचारियों से परामर्श लेना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपनी जिम्मेदारियों से अवगत हैं और उन्हें पूरा करने में सक्षम हैं। |
| The COVID Safety Plan should identify the risks posed by COVID‒19 to your staff (including contractors and volunteers), business and customers, and should be guided by these guidelines. | COVID सुरक्षा योजना में आपके कर्मचारियों (ठेकेदारों और स्वयंसेवकों समेत), व्यवसाय और सेवार्थियों के लिए COVID‒19 से पैदा होने वाले खतरों की पहचान की जानी चाहिए तथा इसके लिए इन दिशा‒निर्देशों से मार्गदर्शन लिया जाना चाहिए। |
| Your COVID Safety Plan should be revisited and updated following further updates to public health advice, and any changes to the Public Health Directions. The most recent Public Health Directions can be found on the [COVID‒19 website](https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work). | जनस्वास्थ्य परामर्श में आगे होने वाले अद्यतनों तथा जनस्वास्थ्य दिशा‒निर्देशों में कोई भी परिवर्तन होने के बाद आपको अपनी COVID सुरक्षा योजना की समीक्षा करके इसे अद्यतित करना चाहिए। सबसे हाल के जनस्वास्थ्य दिशा‒निर्देश [COVID‒19 वेबसाइट](https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work) पर उपलब्ध हैं। |
| Not all the points in this checklist will apply to every business, and this checklist is not intended to be exhaustive. | इस जाँचसूची के सभी बिंदु प्रत्येक व्यवसाय के लिए लागू नहीं होंगे, और यह जाँचसूची पूरी तरह से संपूर्ण नहीं है। |
| Completing a COVID Safety Plan does not replace your responsibilities under the *Work Health Safety Act* *2011* (ACT). | COVID सुरक्षा योजना को पूरा करना *Work Health Safety Act 2011* (ACT) के तहत आपकी जिम्मेदारियों को प्रतिस्थापित नहीं करता है। |
| **Physical distancing** | **शारीरिक दूरी** |
| * All businesses and undertakings should implement physical distancing as outlined in the Public Health Directions. | * सभी व्यवसायों और उपक्रमों को जनस्वास्थ्य दिशा‒निर्देशों में रेखांकित शारीरिक दूरी को लागू करना चाहिए। |
| * All venues can have 25 people (excluding staff) across the entire venue. If venues wish to have more than 25, venues can use the sum of: * One person per four square metres of usable space for each indoor space (up to a max of 200 people); and * One person per two square metres of usable space for each outdoor space (up to a max of 200 people). | * सभी स्थलों में पूरे परिसर के अंदर 25 व्यक्ति (कर्मचारियों के अतिरिक्त) उपस्थित हो सकते हैं। यदि स्थल 25 से अधिक व्यक्तियों के उपस्थित होने के लिए इच्छुक हैं, तो वे निम्नलिखित गणनाओं के योग का प्रयोग कर सकते हैं: * प्रत्येक इनडोर क्षेत्र में प्रति चार वर्ग मीटर के उपयोग‒योग्य क्षेत्र में एक व्यक्ति (अधिकतम 200 व्यक्तियों की सीमा); और * प्रत्येक आउटडोर क्षेत्र में प्रति दो वर्ग मीटर के उपयोग‒योग्य क्षेत्र में एक व्यक्ति (अधिकतम 200 व्यक्तियों की सीमा)। |
| * Hospitality venues may consider using an additional option when determining their venue capacity if this suits them. That is, venues with usable space between 101 and 200 square metres can have 50 people across the whole venue (includes all indoor/outdoor venues). * Ensure appropriate physical distancing measures are in place, including maintaining a distance of 1.5 metres between people, wherever possible. * For more information about how to implement physical distancing measures in your premises go to the business and work section of the [COVID‒19 website.](https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work) | * आतिथ्य स्थल अपने स्थल की क्षमता का निर्धारण करते समय अपनी उपयुक्तता के अनुसार एक अतिरिक्त विकल्प का प्रयोग करने के बारे में विचार कर सकते हैं। यह विकल्प है ‒ 101 और 200 **वर्ग मीटर के** बीच **उपयोग‒योग्य क्षेत्र**फल **वाले** स्थलों **में पूरे** परिसर के अंदर 50 **लोग** उपस्थित **हो सकते हैं (सभी इनडोर/आउटडोर** क्षेत्र **शामिल हैं)**। * उपयुक्त सामाजिक दूरी बनाए रखने की व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करें। इसमें यथासंभव लोगों के बीच 1.5 मीटर की दूरी बनाए रखना शामिल है। * अपने परिसर में शारीरिक दूरी बनाए रखने की व्यवस्थाएँ लागू करने के बारे में और अधिक जानकारी के लिए [COVID‒19 वेबसाइट](https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work) के व्यवसाय और कार्य अनुभाग पर जाएँ। |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cleaning, Sanitising and Hygiene Activities** | **साफ‒सफाई, सैनिटाइज़ेशन और स्वच्छता कार्य** |
| * All businesses and undertakings are required to demonstrate appropriate hand and general hygiene. * Businesses should also ensure they maintain appropriate cleaning and sanitising practices and supplies. * It is strongly recommended that all people working within a business, whether they be owners, employees or contractors, undertake relevant training. * A range of training options are available, some of which are nationally recognised and free to complete. * For more information on COVID‒19 infection control training go to [Skills ACT website.](https://www.skills.act.gov.au/Infection%20Control%20Training) * Checklists about keeping your workplace COVID safe can be found on the [Safework Australia website.](https://www.safeworkaustralia.gov.au/collection/covid-19-resource-kit) * For practical resources go to the signs and factsheets page on the [COVID‒19 website.](https://www.covid19.act.gov.au/signs-and-factsheets) | * सभी व्यवसायों और उपक्रमों को हाथों की उपयुक्त सफाई की व्यवस्था और सामान्य स्वच्छता का प्रदर्शन करना आवश्यक है। * व्यवसायों को समुचित रूप से साफ‒सफाई और सैनिटाइज़ेशन प्रथाएँ एवं आपूर्तियों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करना चाहिए। * व्यवसाय में काम करने वाले सभी लोगों को, चाहे वे मालिक, कर्मचारी या ठेकेदार हों, प्रासंगिक प्रशिक्षण लेने की पुरजोर सलाह दी जाती है। * प्रशिक्षण लेने के लिए अनेकानेक विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ विकल्प राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता‒प्राप्त एवं पूरा करने के लिए निःशुल्क उपलब्ध हैं। * COVID‒19 संक्रमण के नियंत्रण के लिए प्रशिक्षण के बारे में और अधिक जानकारी के लिए [Skills ACT की वेबसाइट](https://www.skills.act.gov.au/Infection%20Control%20Training) पर जाएँ। * अपने कार्यस्थल को COVID से सुरक्षित रखने के बारे में जाँचसूचियाँ [Safework Australia की वेबसाइट](https://www.safeworkaustralia.gov.au/collection/covid-19-resource-kit) पर उपलब्ध हैं। * व्यावहारिक संसाधनों के लिए [COVID‒19 वेबसाइट](https://www.covid19.act.gov.au/signs-and-factsheets) पर दिए गए संकेतों और पत्रकों पेज पर जाएँ। |
| **Managing staff or patrons/visitors presenting with illness** | **बीमारी के साथ उपस्थित होने वाले कर्मचारियों या सेवार्थियों/आगंतुकों का प्रबंधन** |
| * The Government is urging everyone to stay home if they are unwell. This applies to staff and the broader community. * Businesses and undertakings should be prepared to turn patrons or visitors away if they have clear symptoms of illness. | * सरकार सभी लोगों से यह आग्रह कर रही है कि यदि वे बीमार हों, तो घर पर ही रहें। यह कर्मचारियों और व्यापक समुदाय के लिए लागू है। * व्यवसायों और उपक्रमों को बीमारी के स्पष्ट लक्षण प्रदर्शित करने वाले सेवार्थियों या आगंतुकों को प्रवेश से मना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। |
| * A Hardship Isolation Payment is available for eligible workers who are unable to temporarily work under a COVID‒19 direction or health guidance. For more information go to the [Families and households page.](https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/economic-survival-package/families-and-households) * Ensure your staff are aware of any workplace policies on paid pandemic leave, if available. * If a direction is issued requiring your workplace to close due to confirmed case of COVID19 contamination, you must notify WorkSafe ACT. | * ऐसे पात्र कर्मचारियों के लिए एकाँतवास कठिनाई भुगतान (Hardship Isolation Payment) उपलब्ध है, जो COVID​‒19 दिशा‒निर्देशों या स्वास्थ्य दिशा‒निर्देशों के तहत अस्थायी रूप से कार्य करने में असमर्थ हैं। और अधिक जानकारी के लिए [परिवारों और घर‒परिवारों के पेज](https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/economic-survival-package/families-and-households) पर जाएँ। * यह सुनिश्चित करें कि आपके कर्मचारी उपलब्धता के अनुसार वेतनीय महामारी अवकाश से संबंधित सभी कार्यस्थल नीतियों से अवगत हों। * यदि COVID‒19 संदूषण के पुष्ट मामले के कारणवश आपके कार्यस्थल को बंद करने की आवश्यकता का निर्देश जारी किया जाता है, तो आपको WorkSafe ACT को सूचित करना चाहिए। |
| **Additional Requirements** | **अतिरिक्त आवश्यकताएँ** |
| Some businesses and organisations will be required to provide additional information in their COVID Safety Plans and request contact information from patrons and visitors and record such details if they are provided. | कुछ व्यवसायों और संगठनों को अपनी COVID सुरक्षा योजनाओं में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने और सेवार्थियों व आगंतुकों से संपर्क जानकारी का निवेदन करने तथा यदि इस प्रकार का विवरण प्रदान किया जाता है, तो उसे रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होगी। |
| **Collecting contact details** | **संपर्क विवरण एकत्र करना** |
| **The following businesses must request all patrons provide their first name and contact details:** | **निम्नलिखित व्यवसायों को सभी सेवार्थियों से अपना पहला नाम और संपर्क विवरण प्रदान करने का निवेदन करना चाहिए:** |
| * Restaurants and cafes offering dine‒in services (includes casino and hotel‒based restaurants, bars and food courts) * Gyms, health clubs and fitness or wellness centres * Yoga, barre, pilates and spin facilities * Boot camps and personal trainers | * बैठकर भोजन करने की (डाइन‒इन) सेवाएँ उपलब्ध कराने वाले रेस्तरां और कैफे (इनमें कैसिनों और होटलों के अंदर स्थित रेस्तरां, बार और फूड कोर्ट शामिल हैं) * जिम, स्वास्थ्य क्लब, फिटनेस या स्वास्थ्य केंद्र * योग, बार, पायलेट्स और स्पिन सुविधाएँ * बूट कैंप और व्यक्तिगत प्रशिक्षक |
| * Personal services (includes hairdressers, barbers, nail salons, tattoo or body modification studios, day spas, and non‒therapeutic massage services) * Organisers of weddings and funerals * Auction houses * Real estate agencies conducting open home inspections or auctions * Clubs, licensed venues and nightclubs that are operating as bars * Cinemas, movie theatres and open air or drive‒in cinemas * Concert venues, theatres, arenas or auditoriums * Conference and convention venues * Indoor amusement centres, arcades and indoor play centres * Hotels * Betting agencies and gaming venues * Strip clubs, brothels and escort agencies * Places of worship where gatherings will exceed 20 people | * व्यक्तिगत सेवाएँ (जैसे हेयरड्रेसर, नाई, नाखून के सैलून, टैटू या शरीर संशोधन स्टूडियो, दिवसकालीन स्पा, और गैर‒चिकित्सीय मालिश सेवाएँ) * विवाह और अंतिम संस्कार आयोजक * नीलामी‒गृह * घर का निरीक्षण और नीलामियों का आयोजन करने वाली अचल संपत्ति एजेंसियाँ * क्लब, लाइसेंस‒प्राप्त स्थल और नाइटक्लब, जो बार के रूप में कार्य कर रहे हैं * सिनेमा, मूवी थिएटर और ओपन‒एयर या ड्राइव‒इन सिनेमा * आयोजन स्थल, थिएटर, एरिना या सभागार * बैठक और सम्मेलन स्थल * इनडोर मनोरंजन केंद्र, आर्केड और इनडोर क्रीड़ा‒केंद्र * होटल * सट्टेबाजी एजेंसियाँ और गेमिंग स्थल * स्ट्रिप क्लब, वैश्यालय और एस्कॉर्ट एजेंसियाँ * धार्मिक स्थल, जहाँ 20 से अधिक लोगों का जनसमूह एकत्र होगा |
| **Collection methods** | **एकत्र करने के तरीके** |
| We understand the process of collecting information from every patron is time consuming. Most people would now be aware of the requirements for businesses to request their details for contact tracing, and are happy to oblige, however some may have privacy concerns. | हम इस बात को समझते हैं कि प्रत्येक सेवार्थी से जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया बहुत समय लेती है। अधिकांश लोग अब इस बारे में जानते होंगे कि व्यवसायों को संपर्क अनुरेखण के उद्देश्य से लोगों से अपना विवरण प्रदान करने के लिए निवेदन करना आवश्यक है, और लोग स्वेच्छा से यह विवरण प्रदान करेंगे। लेकिन कुछ लोगों को गोपनीयता‒संबंधी चिंताएँ हो सकती हैं। |
| For example, an A4 notebook left out the front of a restaurant with all seated guests’ details on display for the next person to see, copy/take a photo of, or handing over an electronic device for patrons to enter their own information, is highly discouraged. | उदाहरण के लिए, इस बात की बिल्कुल भी सलाह नहीं दी जाती है कि रेस्तरां के सामने वाले हिस्से में एक A4 नोटबुक रखी जाए जिसमें बैठे हुए सभी मेहमानों का विवरण प्रदर्शित होगा, क्योंकि अगला आने वाला व्यक्ति सब‒कुछ देख सकता है या कॉपी कर सकता है या इसकी तस्वीर खींच सकता है। इस बात की भी बिल्कुल सलाह नहीं दी जाती है कि सेवार्थियों के हाथों में अपनी जानकारी प्रदान करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण दिया जाए। |
| Physical and electronic security must be considered to help guarantee that your patrons’ personal information is secure and the workspace can facilitate good privacy practices. | अपने सेवार्थियों की व्यक्तिगत जानकारी का संरक्षण सुनिश्चित करने में सहायता और कार्यक्षेत्र में अच्छी गोपनीयता प्रथाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा के बारे में विचार किया जाना चाहिए। |
| **Paper‒based collection** | **कागज के माध्यम से संग्रह** |
| Consider having a staff member collect patrons’ details on arrival (or once they are seated) on a form that is kept private from other patrons.  Once filled in, the forms should be kept in a place that is secure and out of sight of other patrons and unauthorised persons. | सेवार्थियों के प्रवेश करने पर (या उनके बैठ जाने के बाद) अपने किसी कर्मचारी द्वारा एक फॉर्म पर उनके विवरणों को एकत्र करने के बारे में विचार करें, जिससे ये दूसरे सेवार्थियों के सामने प्रदर्शित न हो पाएँ।  जब फॉर्म भर लिए जाएँ, तो इन्हें दूसरे सेवार्थियों और अनधिकृत व्यक्तियों की दृष्टि से बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। |
| **Electronic collection** | **इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संग्रह** |
| The Check in CBR app is a contactless, secure and convenient way for customers to sign into a Canberra venue.  The app enables individuals to check‒in to venues and have their data stored securely with ACT Health in the event contact tracking is needed. | कैनबरा में किसी भी स्थल में प्रवेश करने पर सेवार्थियों के लिए साइन इन करने का संपर्क‒रहित, सुरक्षित और सुविधाजनक तरीका चेक इन सीबीआर (Check in CBR) ऐप का प्रयोग करना है।  यह एप लोगों को स्थलों में चेक‒इन करने और संपर्क अनुरेखण की आवश्यकता पड़ने पर उपयोग के लिए ACT Health द्वारा उनके डेटा को सुरक्षित रूप से संग्रहीत करने की क्षमता देती है। |
| When you register your business you will be provided a unique QR code. Customers with the Check In CBR app simply scan the QR code and show your staff that they have successfully checked in. | जब आप अपने व्यवसाय को पंजीकृत करते/करती हैं, तो आपको मात्र अपने प्रयोग के लिए एक क्यूआर कोड दिया जाएगा। जिन सेवार्थियों के पास चेक इन सीबीआर (Check In CBR) ऐप है, वे आसानी से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपके कर्मचारियों को दिखा सकते हैं कि उन्होंने सफलतापूर्वक चेक इन कर लिया है। |
| To find out more and register your business visit the Check In CBR page on the [COVID‒19 website.](https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/check-in-cbr) | और अधिक जानकारी व अपने व्यवसाय को पंजीकृत करने के लिए [COVID‒19 वेबसाइट](https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/check-in-cbr) पर उपलब्ध चेक इन सीबीआर (Check In CBR) पेज पर जाएँ। |
| Businesses collecting personal data via other electronic means (such as an iPad) must ensure systems are privacy compliant.  Devices should also not be handed to patrons to enter their personal details as this creates a hygiene risk. Instead, have your staff operate the device.  Ensure passwords are regularly changed, and your application protects data against unauthorised access. | अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (जैसे आईपैड) का उपयोग करके व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने वाले व्यवसायों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी प्रणालियाँ गोपनीयता का अनुपालन करती हैं।  सेवार्थियों को अपने व्यक्तिगत विवरण एंटर करने के लिए उनके हाथों में उपकरण नहीं देने चाहिए क्योंकि इससे स्वच्छता‒संबंधी खतरा पैदा होता है। इसके बजाए अपने किसी कर्मचारी से उपकरण का प्रयोग करने के लिए कहें।  यह सुनिश्चित करें पासवर्डों को नियमित रूप से बदला जाता है, और आपकी एप्लिकेशन डेटा को अनधिकृत सुलभता से सुरक्षित रखती है। |
| Some businesses are using QR codes to collect customer details. A QR code is just like a barcode, with information that can be read by a smart phone camera. QR codes are convenient for businesses and customers. They also provide a hygienic, contactless way of signing into a venue.  Businesses can find QR code guest registration services by searching online or if you have an IT service provider, ask them for advice. Make sure you read the full terms and conditions of the service carefully. | कुछ व्यवसाय सेवार्थियों के विवरण एकत्र करने के लिए क्यूआर कोड का उपयोग कर रहे हैं। क्यूआर कोड एक बारकोड जैसा ही होता है, जिसमें शामिल जानकारी स्मार्ट फोन कैमरे के माध्यम से पढ़ी जा सकती है। व्यवसायों और सेवार्थियों के लिए क्यूआर कोड सुविधाजनक होते हैं। इनसे किसी स्थल पर संपर्क‒रहित तरीके से स्वच्छतापूर्वक साइन इन भी किया जा सकता है।  अतिथि पंजीकरण सेवाओं के लिए ऑनलाइन खोज करके व्यवसाय क्यूआर कोड प्राप्त कर सकते हैं, या यदि आपका कोई आईटी सेवा प्रदाता है तो उनसे सलाह लें। सेवा के सभी नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ना सुनिश्चित करें। |
| **Compliance and enforcement** | **अनुपालन और प्रवर्तन** |
| Developing and following a COVID Safety Plan is an important step in keeping your staff, customers, and the broader community safe as we continue to manage the impacts of the pandemic.  Compliance efforts will be focused on education and support. However, penalties could apply and may be issued for those who put the community at risk through serious or repeated breaches of the legal requirements and obligations. | इस समय जब हम महामारी के प्रभावों का प्रबंधन करना जारी रख रहे हैं, तो अपने कर्मचारियों, ग्राहकों और व्यापक समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए COVID सुरक्षा योजना का विकास और उसका अनुपालन करना एक महत्वपूर्ण कदम है।  अनुपालन के प्रयास शिक्षा और समर्थन पर केंद्रित होंगे। परंतु दंड लागू हो सकते हैं और कानूनी आवश्यकताओं एवं दायित्वों के गंभीर या बारंबार उल्लंघनों से समुदाय के लिए खतरा पैदा करने वाले लोगों को दंड जारी भी किए जा सकते हैं। |
| **Signage** | **संकेत** |
| All venues, facilities and businesses must clearly display occupancy allowance at entrance to each venue or space. | सभी स्थलों, सुविधाओं और व्यवसायों को प्रत्येक स्थल या क्षेत्र के प्रवेश‒स्थान पर उपस्थित लोगों की अधिकतम अनुमत सँख्या को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना चाहिए। |
| Consider also displaying information to your customers and staff about your COVID Safety Plan. | अपने सेवार्थियों और कर्मचारियों के लिए अपनी COVID सुरक्षा योजना के बारे में जानकारी प्रदर्शित करने के बारे में भी सोचें। |
| * Templates for posters and signage are available on the signs and factsheets page of the [COVID‒19 website.](https://www.covid19.act.gov.au/signs-and-factsheets) * Consider placing your COVID Safety Plan on your website or Facebook page. | * [COVID‒19 वेबसाइट](https://www.covid19.act.gov.au/signs-and-factsheets) के संकेत और तथ्यपत्रक पेज पर पोस्टरों और संकेतों के लिए टेम्प्लेटें उपलब्ध हैं। * अपनी वेबसाइट या फेसबुक पेज पर अपनी COVID सुरक्षा योजना को प्रदर्शित करने के बारे में विचार करें। |
| **Calculating usable space** | उपयोग‒योग्य क्षेत्र **की गणना** |
| For businesses operating under the one person per 4 square metre rule, you should refer to the fact sheet that assists you to calculate your business’ usable space which can be found on the signs and factsheets section of the [COVID‒19 website.](https://www.covid19.act.gov.au/signs-and-factsheets) | प्रति 4 वर्ग मीटर में एक व्यक्ति की उपस्थिति के नियम के तहत काम करने वाले व्यवसायों को अपने व्यवसाय के अंदर उपलब्ध उपयोग‒योग्य क्षेत्र की गणना करने में सहायता देने वाला तथ्य पत्रक देखना चाहिए, जो [COVID‒19 वेबसाइट](https://www.covid19.act.gov.au/signs-and-factsheets) के संकेत और तथ्यपत्रक अनुभाग में उपलब्ध है। |
| You should only factor in usable space when calculating how many people you can have in your premises. Usable space means the space that people can freely move around in, but does not include:   * Stages and similar areas, * Restrooms, changerooms and similar areas, * Areas occupied by fixtures, fittings and displays, and * Staff only areas and areas that are closed off or not being used. | अपने परिसर में अधिकतम उपस्थित व्यक्तियों की गणना करते समय ही आपको उपयोग‒योग्य क्षेत्र के बारे में विचार करना चाहिए। उपयोग‒योग्य क्षेत्रफल से तात्पर्य लोगों को स्वतंत्र रूप से चलने‒फिरने के लिए उपलब्ध क्षेत्र से है, लेकिन इसमें ये शामिल नहीं हैं:   * + मंच और इस प्रकार के क्षेत्र,   + शौचालय, कपड़े बदलने के कमरे और इस प्रकार के क्षेत्र,   + जुड़नारों, फिटिंग और प्रदर्शन के लिए रखी गई वस्तुओं के क्षेत्र, और   + केवल कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र और प्रवेश‒निषेध या उपयोग नहीं किए जा रहे क्षेत्र। |
| **Review and monitor** | **समीक्षा और निगरानी करें** |
| * This document provides an overview of the risks that are likely to apply to most or all businesses in this sector. You should consider and address risks that may be specific to your business. * Regularly review your policies and procedures to ensure they are consistent with current directions and advice provided by ACT Health. * Ensure there is an accessible copy of your COVID Safety Plan available on your premises as it must be produced if requested from a relevant compliance and enforcement officer. This may include producing an electronic copy. | * यह दस्तावेज इस क्षेत्र के अधिकांश या सभी व्यवसायों के लिए संभावित रूप से होने वाले खतरों का अवलोकन प्रदान करता है। आपको अपने व्यवसाय के लिए विशिष्ट खतरों के बारे में सोचना और पता करना चाहिए। * नियमित रूप से अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये ACT Health द्वारा उपलब्ध कराए गए वर्तमान दिशा‒निर्देशों और सलाह के अनुरूप हैं। * अपने परिसर में अपनी COVID सुरक्षा योजना की एक प्रति सुलभ रखना सुनिश्चित करें, क्योंकि प्रासंगिक अनुपालन और प्रवर्तन अधिकारी द्वारा निवेदन किए जाने पर इसे प्रदर्शित करना आवश्यक होगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रति प्रदर्शित करना शामिल हो सकता है। |
| Failure to comply with directions may result in significant penalties.  Have a question? Looking for advice about operating in a COVID safe environment? Call the Access Canberra Business Liaison Line on **(02) 6205 0900.** | दिशा‒निर्देशों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप गंभीर दंड लागू हो सकते हैं।  क्या आपके पास कोई प्रश्न है? क्या आप COVID‒सुरक्षित परिवेश में परिचालन करने के बारे में सलाह लेना चाहते/चाहती हैं? Access Canberra Business Liaison Line को **(02) 6205 0900** पर कॉल करें। |
| Current as at 9 October 2020 | 9 अक्टूबर 2020 तक अद्यतन |
| **Deliveries, contractors and visitors attending the premises** | **डिलीवरी, ठेकेदार और परिसर में प्रवेश करने वाले आगंतुक** |
| * Where practical, direct delivery drivers or other contractors visiting the premises to minimise physical interaction with workers. * Use electronic paperwork where practical. If a signature is required, discuss providing a confirmation email instead, or take a photo of the goods onsite as proof of delivery. * Ensure a number of suppliers so that you can maintain adequate stocks of hand soap, paper towel, sanitisers. | * जब डिलीवरी करने वाले चालक और अन्य ठेकेदार आपके व्यवसाय में आएँ, तो व्यावहारिकता के अनुसार उन्हें कर्मचारियों के साथ कम से कम शारीरिक संपर्क करने का निर्देश दें। * जहाँ व्यावहारिक हो, इलेक्ट्रॉनिक कागजातों का उपयोग करें। यदि हस्ताक्षर की आवश्यकता हो, तो इसके बजाए ईमेल से पुष्टि करने के बारे में चर्चा करें या डिलीवरी के प्रमाण के रूप में स्थल पर सामान की तस्वीर खींचें। * अपने लिए एकाधिक आपूर्तिकर्ता सुनिश्चित करें, ताकि आपके पास साबुन, पेपर टॉवल और सैनिटाइज़र की पर्याप्त मात्रा हमेशा रहे। |
| **Additional Requirements – Galleries, Museums, National Institutions, and Historic Sites** | **अतिरिक्त आवश्यकताएँ ‒ कलादीर्घाएँ, संग्रहालय, राष्ट्रीय संस्थान, और ऐतिहासिक स्थल** |
| In addition to the general requirements of the COVID Safety Plan, galleries, museums, National Institutions and historic sites are required to: | कलादीर्घाओं, संग्रहालयों, राष्ट्रीय संस्थानों और ऐतिहासिक स्थलों के लिए COVID सुरक्षा योजना की सामान्य आवश्यकताओं के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य‒कलाप भी अनिवार्य हैं: |
| * Galleries, museums, national institutions and historic sites can open provided there is no more than one person per 4 square metres throughout the venue, and can commence guided tours for groups of up to 20 people (excluding the tour guide). * Manage ingress and egress (with separate points). * Entry of groups are to be separated by time. * Increased frequency of cleaning for high touch areas or items, and rest room facilities. | * कलादीर्घाएँ, संग्रहालय, राष्ट्रीय संस्थान और ऐतिहासिक स्थल खोले जा सकते हैं, बशर्ते पूरे आयोजन स्थल में प्रति 4 वर्ग मीटर के क्षेत्र में एक से अधिक व्यक्ति न उपस्थित हो, और इनमें अधिकतम 20 लोगों के समूहों (टूर गाइड के अतिरिक्त) के लिए निर्देशित दौरे शुरू किए जा सकते हैं। * प्रवेश और निकास का प्रबंधन करें (अलग‒अलग द्वारों पर)। * समूहों के प्रवेश अलग‒अलग समयांतरालों में होने चाहिए। * बहुधा स्पर्श किए जाने वाले क्षेत्रों या वस्तुओं और शौचालय सुविधाओं की सफाई की आवृत्ति बढ़ाई जानी चाहिए। |
| **Additional Requirements – Outdoor attractions and amusements** | **अतिरिक्त आवश्यकताएँ – आउटडोर आकर्षण और मनोरंजन** |
| * Careful management of flow of groups throughout venue or site. Groups are to be of up to 20, complying with complying with social distancing rules including 1.5m between people and one person per four square metres for the space they are in. * All groups must have supervisory oversight to ensure social distancing is enforced and that groups of greater than 20 people do not form. | * पूरे स्थल या साइट पर जनसमूहों के प्रवाह का सावधानीपूर्वक प्रबंधन। अधिकतम 20 लोगों के समूह बनाए जा सकते हैं। वे जिस स्थान पर हैं वहाँ उन्हें सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन करना होगा, जिसमें लोगों के बीच परस्पर 1.5 मीटर की दूरी और प्रत्येक चार वर्ग मीटर के क्षेत्र में एक व्यक्ति की उपस्थिति शामिल हैं। * सभी समूहों के पास पर्यवेक्षी अवलोकन होना चाहिए, ताकि सामाजिक दूरी का प्रवर्तन और 20 से अधिक लोगों का जनसमूह न बनना सुनिश्चित किया जा सके। |
| **Keep up to date on restrictions through the ACT COVID19 website:**  [*www.covid19.act.gov.au*](http://www.covid19.act.gov.au) | **ACT COVID19 वेबसाइट पर प्रतिबंधों के बारे में नवीनतम जानकारी प्राप्त करें:**  [*www.covid19.act.gov.au*](http://www.covid19.act.gov.au) |
| **The Safe Work Australia website:**  [*www.safeworkaustralia.gov.au/*](http://www.safeworkaustralia.gov.au/) | **सुरक्षित कार्य ऑस्ट्रेलिया (Safe Work Australia) वेबसाइट:**  [*www.safeworkaustralia.gov.au/*](http://www.safeworkaustralia.gov.au/) |